

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

1 बीरवत आदि

बनाम

शमशराप आदि


दावा बाबत :- 88-188 RTA-
मुकदमा नम्बर :- 98/15
निर्णय दिनांक :- 11/11/21

वादी की ओर से वकील शमेन्द्र गोपत की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील कपूर चन्द शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.11.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

~~भुलाबिठ राजीनामा वाद-वादीगण डीडी डिवा
जाकर रौली भौजा चक 2DPN व 3DPN की वाद भूमि जो वाद
में वर्णित है कि घोषणा भुलाबिठ राजीनामा डी पार्टी है। सभी
अनुसार राजस्व रिजॉर्ड में अंजन डल रिजॉर्ड उद्धृत करें।
राजीनामा व वाद की प्रमाणित प्रती जो डीडी का भाग पठाया
उसमय में दिखे पर निम्नानुसार प्रतीपन शुल्क अदा करने व
हमि भूमि बैंक रदन है तो रदन उद्धृत होने पर भुलाबिठ राजीनामा
राजस्व रिजॉर्ड में अंजन डल रिजॉर्ड उद्धृत करें।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


श्रीमति शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़